

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली**

क्रमांक: शिविपा/मा/संस्था-1/ए/पु.अ.-III/सी.भ./2016/17/4959

दिनांक: 03 दिसम्बर 2017

**-:: कार्यालय आदेश ::-**

श्रीमान् निदेशक, मा.शि. राज.बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/पु.अ.-ग्रेड।।।/सी.भ./2016 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रंखला पुस्तकालयध्यक्ष भर्ती परीक्षा-2016 में चयनित/अभिस्तावित निम्नांकित अभ्यर्थियों को पुस्तकालयध्यक्ष ग्रेड-।।। के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु पाली जिला आवंटित कर इस कार्यालय को सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित अभ्यर्थीगण को **तृतीय वेतन श्रंखला पुस्तकालयध्यक्ष** के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल-10 में परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर नियमानुसार देय **नियत स्थिर मानदेय 23700/-** (पूर्व में सेवारत होने स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक: प.17 (15) शिक्षा-2/2014 दिनांक 04.09.2017 द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशानुसार परामर्श शिविर आयोजित कर की गई है।

क्र. सं.	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी/ पिता का नाम मय पता	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	ब्लॉक	पदस्थापन स्थान
1.	174	103192	ममता चौधरी/ शिवजी राम चौधरी ग्राम-जयचन्दपुरा, पो. निमेडा जिला-जयपुर	14.11.1985	OBC	GENF	जैतारण	राउमावि निम्बोल
2.	43	102495	चन्दन दिवाकर/सत्यप्रकाश दिवाकर इएक्सटी-14 (पश्चिम) दिवाकर सदन, यूआईटी के सामने, सुभाष नगर, भीलवाडा	15.06.1987	OBC	GEN	मा.जं.	राउमावि माण्डा
3.	62	100658	प्रवीण सोलंकी/ जगदीश सोलंकी मालियों की ढाणी, मादलिया, तह. पीपाडशहर, जिला-जोधपुर	10.01.1996	OBC	GEN	रायपुर	राउमावि चिताड
4.	92	109343	गजेन्द्रसिंह/ नरपत सिंह ग्रा.पो.चौपडा,तह.सोजतसिटी,जिला-पाली	05.07.1986	GEN	GEN	रायपुर	राउमावि कोटकिराना


**सम्बंधित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-**

- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना एफ.7(1) डीओपी/ए-II/95 दि.08.04.2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं के वैध व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी से 10/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्यतः प्राप्त किया जावे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर से अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पायी जाती है, तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्यधीन होगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा एवं ऐसी नियुक्ति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।



4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही इन्हे कार्यग्रहण करावें। मूल दस्तावेजों से सत्यापन में कोई भिन्नता पाई जाने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं उसके सम्बंध में विस्तृत स्पष्ट टिप्पणी सहित इस कार्यालय को सूचना तत्काल भिजवाई जावें।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति की आय एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अथवा अभ्यर्थी क्रिमीलेयर श्रेणी में होने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बंध में विस्तृत स्पष्ट टिप्पणी सहित इस कार्यालय को सूचना तत्काल भिजवाई जावें। **उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण करवाया जावे।**
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करे जिसका आवेदन पत्र पर छायाचित्र चस्पा हैं।
7. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञापित के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एकलपीठ रिट याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन की गई हैं। अतः सम्बंधित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व उक्त आशय का शपथ पत्र 10/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्यतः प्राप्त किया जावे।
8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर ली जावें।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्यतः लिया जावे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं एवं इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने की स्थिति में उनकी यह नियुक्ति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
11. आशार्थी के विधवा/तलाकशुदा महिला होने पर उनसे सम्बंधित प्रमाण पत्र यथा न्यायालय की डिक्री, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने सम्बंधी शपथ पत्र लिये जाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावें।

सम्बंधित अभ्यर्थी को पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.12.2017 तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण करना होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। सम्बंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना से इस कार्यालय को तत्काल अवगति सुनिश्चित करेंगे एवं शालादर्पण पोर्टल पर इनकी सूचना शीघ्र ही अपडेट करेंगे।


  
 (मोहनलाल जाट)  
**जिला शिक्षा अधिकारी**  
**(माध्यमिक) पाली**

क्रमांक: शिविपा/मा/संस्था-1/ए/पु.अ.-III/सी.भ./2016/17/4961

दिनांक: 03 दिसम्बर 2017

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज. जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पाली।
8. सम्बंधित संस्थाप्रधान.....
9. सम्बंधित आशार्थी.....गृह पते पर पंजीकृत डाक द्वारा।
10. नोटिस बोर्ड, स्था.कार्यालय।
11. रक्षक पंजिका।

  
**जिला शिक्षा अधिकारी**  
**(माध्यमिक) पाली**

Anuj Dave

C:\Desktop\LIBRARIAN G-III 2016\Lib-2016 Appointment order.doc